

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला अनुपगढ़**

**अनवान**

**सुरेन्द्र कुमार बनाम श्रीराम आदि**

प्रकरण संख्या :- **001/2024**

GCMS संख्या :- **2024/1**

प्रकरण- अन्तर्गत धारा 91, 188 राज. काश्त. अधिनियम

दिनांक तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
08.01.2024	<p>आज यह पत्रावली वादी के वादपत्र अन्तर्गत धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता श्री मदन ज्याणी के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अराजीराज भूमि के संबंध में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है, जो दिया जाना उचित नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी घड़साना</b></p>	